

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 08.09.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 410/25 धारा-317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस व 35(1) बीएनएसएस से संबंधित अभियुक्तगण 1. दीपक कश्यप पुत्र स्व0 संतोष कश्यप निवासी गुड़गांव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात हालपता किराए का मकान नवीपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 19 वर्ष 2. समरजीत उर्फ प्रवेन्द्र यादव पुत्र ओम सिंह यादव निवासी नवीपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना गजनेर पुलिस द्वारा अ0सं0 123/25 धारा-137(2)/87/351(2)/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अनुराग पुत्र सरवन निवासी ग्राम हृदयपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0 259/25 धारा 191(3)/191(2)/109(1)/351(3)/352 बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1. बालेंद्र सिंह उर्फ लवी पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ज्योति थाना शिवली जनपद कानपुर देहात 2. राम शंकर उर्फ वीरु पुत्र स्वर्गीय कृष्ण बहादुर सिंह निवासी सुल्तान पेराजोर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 309/25 धारा 74/78/351(3)/115(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त दिनेश पुत्र रामकिशुन निवासी गढ़िया घासीराम थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 विजय सिंह निवासी प्रेमनगर दहेली थाना रेउना जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 46 वर्ष के कब्जे से 15 क्वार्टर देशी नाजायज अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 157/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 13 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।